259

[2020] 5 एस. सी. आर. 259

/

एम. एच. उमा माहेश्वरी और ओ. आर. एस. बनाम

संयुक्त भारत बीमा कंपनी। लिमिटेड. और ए. एन. आर. (2020 की सिविल अपील संख्या 2558)

/

12 जून, 2020

[एन**.** वी**.** रमना**,** आर**.** सुभाष रेड्डी और सूर्या कांत**,** जे**.** जे**.]**

मोटर वाहन अधिनियम, 1988:

/

धारा 166 – घातक दुर्घटना-50 वर्षीय व्यक्ति की-मुआवजे के लिए दावा-न्यायाधिकरण ने मुआवजे का आदेश देते समय 13 का गुणक लागू किया और भविष्य की संभावनाओं के लिए 30 प्रतिशत दिया-उच्च न्यायालय ने भविष्य की संभावनाओं के लिए 15 प्रतिशत देकर मुआवजे की राशि को कम कर दिया-हालांकि, उच्च न्यायालय ने 13 का गुणक बनाए रखा-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजित:चूंकि उच्च न्यायालय ने 13 के गुणक को बनाए रखा, इसलिए भविष्य की संभावनाओं के लिए 15 प्रतिशत देकर मुआवजे को कम करने का कोई औचित्य नहीं था-न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया मुआवजा न्यायसंगत और उचित था-मुआवजा।

/

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

/

अभिनिर्धारित किया **:1.** न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष दर्ज करते हुए कि मृतक की आयु **40** से **50** वर्ष के बीच थी**,** मुआवजे की गणना करते समय **13** का गुणक लागू किया।उच्च न्यायालय ने **13** के गुणक को बनाए रखते हुए मुआवजे को केवल इस आधार पर कम किया है कि दुर्घटना की तारीख को मृतक की आयु **50** वर्ष **3** महीने थी**,** इसलिए मुआवजे की गणना निर्भरता के नुकसान के कारण की जानी है।जहाँ तक न्यायाधिकरण द्वारा **13** के गुणक के आवेदन का संबंध है**,** उच्च न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया है।जब मृतक की आयु को **40** से **50** वर्ष के समूह में माना जाता था**,** तो उच्च न्यायालय ने **30** प्रतिशत के बजाय भविष्य की संभावनाओं के लिए केवल **15** प्रतिशत देने में त्रुटि की है।आयु वर्ग को **40** से **50** वर्ष मानते हुए**,** जब उच्च न्यायालय द्वारा **13** का गुणक बनाए रखा जाता है**,** तो भविष्य

की संभावनाओं के लिए **15** प्रतिशत देकर मुआवजे को कम करने का कोई कारण या औचित्य नहीं है।**[**पैरा **8] [263-**सी**-**एफ**]**

/

/

/

259 ए.

260 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 5 एस. सी. आर.

सरला वर्मा और ओआरएस. वी.दिल्ली परिवहन निगम और

एन. आर. (2009) 6 एससीसी 121:[2009] 5 एससीआर 1098-पर भरोसा किया गया।

2. यदि मृतक की आयु **40** से **50** वर्ष के आयु वर्ग में है**,** तो भविष्य की संभावनाओं के संबंध में अतिरिक्त **30** प्रतिशत होना चाहिए।गुणक के आवेदन के लिए**,** उच्च न्यायालय ने **40** से **50** वर्ष के बीच मृतक के आयु वर्ग को भी स्वीकार कर लिया है।इस मामले को देखते हुए**,** भविष्य की संभावनाओं को केवल **15** प्रतिशत पर देकर मुआवजे को कम करने का कोई कारण नहीं है।**13** के गुणक के आवेदन की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को किसी भी चुनौती के अभाव में**,** उच्च न्यायालय ने निर्भरता के नुकसान के कारण मुआवजे को कम करने में त्रुटि की है।प्यार और स्नेह की हानि के लिए**,** जब पहली अपीलकर्ता को संघ के नुकसान के कारण रु**. 1,00,000** का मुआवजा दिया गया था**,** तो वह उसी के लिए एक और रु**. 1,00,000** की हकदार नहीं थी**,** लेकिन साथ ही**,** हालांकि अपीलकर्ताओं ने शव के परिवहन और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए रु**. 2,00,000** का दावा किया है**,** केवल संबंधित प्रमुखों के लिए **<ID2,000/-** और **<ID1,000/-** की राशि प्रदान की गई थी।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए**,** उच्च न्यायालय द्वारा रुपये के इस तरह के अनुदान को भी कम नहीं किया जाना चाहिए था।इसलिए**,** न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया मुआवजा न्यायसंगत और उचित है और इसमें उच्च न्यायालय द्वारा बिना किसी वैध आधार के हस्तक्षेप किया गया था।**[**पारस **8** और **9] [263-**जी**-**एच**; 264-**ए**-**डी**]**

/

/

/

/

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी

& ओआरएस। (2017) 16 एससीसी 680:[2017] 13 एस. सी. आर. 100-फॉलो किया गया।

/

संदर्भित निर्णय

[2009] 5 एससीआर **1098**

पर विश्वास किया

पैरा **8**

[2017] 13 एससीआर **100**

पीछा किया।

पैरा **8**

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2020 की सिविल अपील संख्या 2558।

2016 (एम. वी.-डी.) की विविध प्रथम अपील संख्या 4903 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 20.07.2017 के निर्णय और आदेश से।

/

261

एम. एच. उमा माहेश्वरी और ओ. आर. एस. बनामयूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर.

/

मेसर्स देवसा एंड कंपनी के लिए शेखर जी. देवसा, मनीष तिवारी, लव कुमार, सुश्री नीरजा सचदेवा, यश पाल ढींगरा, अधिवक्ता।उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर**.** सुभाष रेड्डी**,** जे**.**

/

1. अनुमति दी गई।

2. यह दीवानी अपील दावेदारों द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण-VI और III अतिरिक्त न्यायाधिकरण के समक्ष 2012 के एमवीसी No.1639 में मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 166 के अंतर्गत दायर एक दावा याचिका में दायर की गई है। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, मैंगलोर, डी. के. (संक्षेप में, 'न्यायाधिकरण'), विविध मामलों में पारित दिनांक 20.07.2017 के निर्णय से व्यथित हैं।बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 2016 की पहली अपील No.4903।

/

3. संक्षेप अंतर्गत आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं:

/

मृतक एस. टी. देवराजू प्रथम अपीलार्थी के पति और अपीलार्थी संख्या के पिता थे।2 और 3.16.07.2012 पर जब वह कार में यात्रा कर रहे थे, अर्थात।, टाटा इंडिगो मांजा का पंजीकरण सं।के. ए.-19-एम. सी.-5879 से रायचूर, उक्त कार दुर्घटना का शिकार हो गई। मृतक देवराजू को गंभीर चोटें आईं और बाद में उसकी मौत हो गई।मृतक देवराजू संबंधित समय के दौरान रायचूर नगर निगम के आयुक्त के रूप में काम कर रहे थे।

/

4. इसमें अपीलकर्ताओं ने यह आरोप लगाते हुए कि दुर्घटना वाहन के चालक की लापरवाही और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई, अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत दावा याचिका दायर की जिसमें 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 1,000 रुपये के मुआवजे का दावा किया गया। यह अपीलार्थियों का मामला था कि मृतक का मासिक वेतन Rs.55,000/- था और वह लोक सेवा आयोग के माध्यम से चुने गए के. जी. एस. संवर्ग के अधिकारी थे।आगे यह दलील देते हुए कि मृतक की असामयिक मृत्यु के कारण, अपीलकर्ताओं ने निर्भरता खो दी और मृतक का भविष्य उज्ज्वल था, उपरोक्त दावा किया गया।प्रत्यर्थियों ने लिखित बयान दाखिल करके दावे का विरोध किया।अपीलार्थियों ने न्यायाधिकरण के समक्ष मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का नेतृत्व किया है।पहले अपीलार्थी से पीडब्लू-1 के रूप में पूछताछ की गई और उनकी ओर से अन्य दो गवाहों से पूछताछ की गई क्योंकि पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 और पी24 के लिए दस्तावेज़ Ex.P1 चिह्नित किए गए थे।उत्तरदाताओं की ओर से, कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था और केवल बीमा पॉलिसी की एक प्रति को सहमति के साथ प्रदर्शन के रूप में चिह्नित किया गया था।

/

/

/

/

5. न्यायाधिकरण ने अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करते हुए एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि दुर्घटना वाहन चालक की लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई और मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ा है।अभिलेख पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि मृतक रुपये कमा रहा था। 50, 463/- वेतन के रूप में, निर्धारित सिद्धांतों को लागू करके

/

सरला वर्मा और अन्य के मामले में।दिल्ली परिवहन निगम

& एन. आर. 1 ने 13 के गुणक को लागू किया और भविष्य की संभावनाओं के लिए 30 प्रतिशत देकर, 912 रुपये के मुआवजे पर पहुंचे।उक्त राशि में से व्यक्तिगत व्यय के लिए 1/3 और आयकर के लिए 10 प्रतिशत की कटौती करके, न्यायाधिकरण ने माना है कि अपीलार्थी-दावेदार निर्भरता के नुकसान के लिए Rs.61,40,347.20 के मुआवजे के हकदार थे।प्रथम अपीलार्थी को संघ के नुकसान के लिए रु. 1,00,000 और सभी अपीलार्थी को प्रेम और स्नेह के नुकसान के लिए रु. 3,00,000 और रु. 2,00,000 के दावे के खिलाफ अंतिम संस्कार के खर्च के लिए रु. Rs.20,000/- की राशि प्रदान करके, न्यायाधिकरण ने कुल मुआवजे के रूप में Rs.65,60,347.20 का आदेश दिया है।

/

/

6. न्यायाधिकरण के फैसले से व्यथित, पहले प्रतिवादी-यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने मिस्क को प्राथमिकता दी है।बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष 2016 की पहली अपील No.4903।न्यायाधिकरण के निर्णय पर मुख्य रूप से तीन आधारों पर उच्च न्यायालय के समक्ष हमला किया गया था, अर्थात्, चूंकि मृतक की आयु 50 वर्ष से अधिक थी, इसलिए न्यायाधिकरण ने 30 प्रतिशत पर भविष्य की संभावनाओं की गणना करने में त्रुटि की; दूसरा, यह पहले प्रतिवादी का मामला था कि चूंकि पहला अपीलकर्ता पारिवारिक पेंशन का दावा कर रहा था, इसलिए निर्भरता के नुकसान की गणना करते समय कटौती की जानी चाहिए थी; और तीसरा, संघ के नुकसान के लिए पहले अपीलकर्ता को रुपये का मुआवजा देकर, न्यायाधिकरण ने फिर से सभी अपीलकर्ताओं को 'प्रेम और स्नेह की हानि' शीर्षक के अंतर्गत रुपये का मुआवजा प्रदान किया।उच्च न्यायालय , इस आधार पर कि दुर्घटना की तारीख को मृतक की आयु 50 वर्ष 3 महीने थी, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलार्थी मृतक की भविष्य की संभावनाओं की गणना 30 प्रतिशत के बजाय 15 प्रतिशत करके निर्भरता के नुकसान के कारण मुआवजे के हकदार हैं।इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि पहले अपीलार्थी को संघ के नुकसान के लिए रु. 1,00,000 की राशि प्रदान करके, न्यायाधिकरण ने पहले

अपीलार्थी को 'प्रेम और स्नेह की हानि' के लिए रु. 1,00,000 प्रदान करके त्रुटि की है। उपरोक्त निष्कर्षों के साथ, उच्च न्यायालय ने

/

/

/

1 (2009) 6 एससीसी 121 ए

/

263

एम. एच. उमा माहेश्वरी और ओ. आर. एस. बनामयूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. [आर. सुभाष रेड्डी, जे.] ए.

अपीलार्थियों को देय मुआवजे की पुनः गणना Rs.57,78,480/-, अर्थात, Rs.54,33,480/- निर्भरता के नुकसान के लिए; रु. 1,00,000-संघ के नुकसान के लिए; रु. 2,00,000-बच्चों के प्रति प्रेम और स्नेह के लिए; Rs.25,000/- अंतिम संस्कार के खर्च के लिए और Rs.20,000/- शव के परिवहन के लिए।

7. हमने अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री शेखर देवसा और प्रथम प्रतिवादी-बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री नीरजा सचदेवा को सुना है और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है।यद्यपि उत्तरदाता सं. पर नोटिस दिया जाता है।2, वह प्रतिनिधित्वहीन रहता है।

/

8. न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष दर्ज करते हुए कि मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच थी, मुआवजे की गणना करते समय 13 का गुणक लागू किया।उच्च न्यायालय ने सरला वर्मा 1 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार 13 के गुणक को दिलचस्प रूप से बनाए रखते हुए मुआवजे को केवल इस आधार पर कम किया है कि दुर्घटना की तारीख को मृतक की आयु 50 वर्ष 3 महीने थी, इसलिए मुआवजे की गणना निर्भरता के नुकसान के कारण की जानी है और भविष्य की संभावनाओं को 15 प्रतिशत पर देते हुए 30 प्रतिशत पर नहीं।जहाँ तक न्यायाधिकरण द्वारा 13 के गुणक के आवेदन का संबंध है, उच्च न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया है।जब मृतक की आयु को 40 से 50 वर्ष के समूह में माना जाता था, तो हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय ने भविष्य की संभावनाओं के लिए 30 प्रतिशत के बजाय केवल 15 प्रतिशत देने में त्रुटि की है।इस न्यायालय के निर्णयों के अनुसार मुख्य रूप से आयु वर्ग पर विचार किया जाना है।आयु वर्ग को 40 से 50 वर्ष मानते हुए, जब उच्च न्यायालय द्वारा 13 का गुणक बनाए रखा जाता है, तो भविष्य की संभावनाओं के लिए 15 प्रतिशत देकर मुआवजे को

कम करने का कोई कारण या औचित्य नहीं है।यद्यपि प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील नं।1-बीमा कंपनी ने प्रस्तुत किया है कि भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवजा इस न्यायालय के संविधान पीठ के निर्णय के अनुसार दिया गया था

/

/

/

/

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य। **2.**

लेकिन साथ ही यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पैराग्राफ 59.3 में इसी निर्णय में भविष्य की संभावनाओं के अनुदान पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने विशेष रूप से कहा है कि यदि मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के आयु वर्ग में थी तो जोड़ 30 प्रतिशत होना चाहिए।गुणक के आवेदन के लिए, उच्च न्यायालय ने 40 से 50 वर्ष के बीच मृतक के आयु वर्ग को भी स्वीकार कर लिया है।मामले के उस दृष्टिकोण में, वहाँ

/

2 (2017) 16 एससीसी 680

/

केवल 15 प्रतिशत पर भविष्य की संभावनाएं देकर मुआवजे को कम करने का कोई कारण नहीं है।13 के गुणक के आवेदन की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को किसी भी चुनौती के अभाव में, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने निर्भरता के नुकसान के कारण मुआवजे को कम करने में त्रुटि की है।प्यार और स्नेह की हानि के लिए, जब पहली अपीलकर्ता को संघ के नुकसान के कारण रु. 1,00,000 का मुआवजा दिया गया था, तो वह उसी के लिए एक और रु. 1,00,000 की हकदार नहीं थी, लेकिन साथ ही, हालांकि अपीलकर्ताओं ने शव के परिवहन और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए रु. 2,00,000 का दावा किया है, केवल संबंधित प्रमुखों के लिए <ID2,000/- और <ID1,000/- की राशि प्रदान की गई थी।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि रुपये के इस तरह के अनुदान को भी उच्च न्यायालय द्वारा कम नहीं किया जाना चाहिए था।

/

/

9. उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया मुआवजा न्यायसंगत और उचित है और इसमें उच्च न्यायालय द्वारा बिना किसी वैध आधार के हस्तक्षेप किया गया था, जैसे कि हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और विविध मामलों में पारित किए गए 20.07.2016 के निर्णय को खारिज कर देते हैं।कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा बेंगलुरु में 2016 (एम. वी.-डी.) की पहली अपील और मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण-VI और III अतिरिक्त न्यायाधिकरण द्वारा 2012 के एम. वी. सी. No.1639 में पारित दिनांकित 29.09.2015 पुरस्कार को बहाल करना।सीनियर सिविल जज, मैंगलोर।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

/

/

कल्पना के. त्रिपाठी

अपील अनुज्ञात ।

/

/

/